

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2864
जिसका उत्तर बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

कुटुंब न्यायालय

+2864. श्री मोहम्मद आज़म खां :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न कुटुंब न्यायालयों में पिछले दस वर्षों के दौरान दाखिल/लंबित तलाक के मामलों की कुल संख्या का वर्ष-वार/राज्य-वार/ न्यायालय-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा ऐसे मामलों की संख्या कितनी है, जिन्हें बंद करने का अंतिम निर्णय ले लिया गया है?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, विभिन्न कुटुंब न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान फाईल किए गए और निपटाए गए मामले तथा राज्य-वार लंबित मामलों की संख्या, जिसमें अन्य बातों के साथ, विवाह विच्छेद के मामले भी हैं, का ब्यौरा देने वाला विवरण उपाबंध-1 पर है। प्राप्त सूचना के अनुसार देश में कार्यरत कुटुंब न्यायालयों की राज्यवार कुल संख्या उपाबंध - 2 पर है। तलाक के मामलों से संबंधित कोई डाटा पृथक रूप से नहीं रखा गया है।

उपाबंध -1

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2016के दौरान कुटुम्ब न्यायालयोंमें फाइल किए गए मामले	2016 के दौरान कुटुम्ब न्यायालयों में निपटाए किए गए मामले	2017के दौरान कुटुम्ब न्यायालयोंमें फाइल किए गए मामले	2017 के दौरान कुटुम्ब न्यायालयों में निपटाए किए गए मामले	2018के दौरान कुटुम्ब न्यायालयोंमें फाइल किए गए मामले	2018 के दौरान कुटुम्ब न्यायालयों में निपटाए किए गए मामले	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कुटुम्ब न्यायालयोंमें लंबित मामलों की संख्या
1.	बिहार	19408	21141	22304	23023	22653	19440	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 49755
2.	सिक्किम	317	303	310	305	289	282	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 118
3.	महाराष्ट्र	23542	22244	25310	23672	28581	24385	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 42406
4.	पंजाब	-	5704	-	6195	-	5622	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 29471
5.	हरियाणा	-	15789	-	15361	-	17274	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 33358
6.	कर्नाटक	18562	16062	19946	19464	23325	21724	01.06.2019 की स्थिति के अनुसार 29712
7.	असम	3381	3591	3557	3731	5526	3942	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 7327
8.	नागालैंड	-	183	-	165	-	139	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 66
9.	आंध्र प्रदेश	7236	6574	6893	6199	7306	6895	15.05.2019 की स्थिति के अनुसार 9751
10.	केरल और लक्षद्वीप	-	50530	-	52151	-	51937	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 71829
11.	उत्तराखंड	6969	6498	9752	8982	12123	10829	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 10989
12.	राजस्थान	31002	24818	32652	27172	34342	30380	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 36590
13.	छत्तीसगढ़	11671	11413	12134	11016	12165	11428	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 13159
14.	दिल्ली	-	26006	-	32692	-	38534	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 31737
15.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	6901	-	7553	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 1561
16.	झारखंड	-	-	-	9663	-	8057	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 10259
17.	मध्य प्रदेश	28317	24644	30745	28800	35080	30971	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 46067
18.	मणिपुर	1057	905	1221	1094	817	477	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 688
19.	ओडिशा	9820	7195	11143	8619	10668	4352	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 33532
20.	तमिलनाडु	-	-	-	22988	-	19094	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 21688
21.	पुंडुचेरी	-	-	-	797	-	972	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 990
22.	त्रिपुरा	1977	1731	1984	1719	2267	1673	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 1715
23.	उत्तर प्रदेश *	-	179724	-	151644	-	162857	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 298404
24.	पश्चिमी बंगाल और अंदमान व	346	371	352	261	1535	845	31.05.2019 की स्थिति के अनुसार 1890

	निकोबार							
25.	तेलंगाना	-	-	-	9926	-	10462	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 12951
26	गुजरात**	22182	-	25527	-	25885	-	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 27057

* विगत तीन वर्षों के दौरान 494225 मामलें निपटाए गए, वर्ष-वार आँकड़े नहीं दिए गए हैं।

**01.01.2016से 31.05.2019के दौरान निपटाए गए मामले 61289 है, वर्ष-वार आँकड़े नहीं दिए गए हैं।

क्र .सं .	राज्य क्षेत्र /संघ राज्य का नाम	(31.03.2019 की स्थिति के अनुसार) क्रियाशील कुटुम्ब न्यायालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	14
2.	असम	05
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	मि जॉ रम	0
5.	नागालैंड	02
6.	बिहार	39
7.	छत्तीसगढ़	21
8.	दिल्ली	21
9.	गोवा	0
10.	महाराष्ट्र	33
11.	गुजरात	37
12.	हरियाणा	22
13.	पंजाब	16
14.	चंडीगढ़	0
15.	हिमाचल प्रदेश	03
16.	जम्मू - कश्मीर	0
17.	झारखंड	19
18.	कर्नाटक	32
19.	केरल और लक्षद्वीप	28
20.	मध्य प्रदेश	58
21.	मणिपुर	07
22.	मेघालय	0
23.	ओडिशा	25
24.	राज स्थान	39
25.	सिक्किम	04
26.	तमिलनाडु	30
27.	पुडुचेरी	02
28.	त्रिपुरा	04
29.	उत्तर प्रदेश	108
30.	उत्तराखंड	16
31.	पश्चिमी बंगाल और अंदमान व निकोबार	03
32.	तेलंगाना	16
33.	दमण और दीव	0
34.	दादरा और नागर हवेली	0
कुल	604	
